BEFORE THE NATIONAL GREEN TRIBUNAL
PRINCIPAL BENCH, NEW DELHI

ORIGINAL APPLICATION NO. 71/2026

IN THE MATTER OF:

GUNDUTT SHARMA …………APPLICANT

VERSUS

STATE OF UP & ORS. …………RESPONDENT(s)

INDEX

S. NO.	PARTICULARS	PAGE NO.
1.	REPLY BY RESPONDENT NUMBER 8- CEO ZILA PANCHAYAT, MEERUT IN COMPLIANCE WITH THE ORDER DATED 10.04.2026 PASSED BY THE HON'BLE NATIONAL GREEN TRIBUNAL	
2.	COPY OF THE MOM DATED 11.09.2020 IS ANNEXED HEREWITH AND MARKED AS ANNEXURE-1	
3.	COPY OF THE COMPLETION CERTIFICATE DATED 23.12.2021 IS ANNEXED HEREWITH AND MARKED AS ANNEXURE-2	

4.	A COPY OF THE LETTER DATED 28.03.2026 IS ANNEXED HEREWITH AND MARKED AS ANNEXURE-3	
5.	A COPY OF THE LETTER DATED 04.04.2026 IS ANNEXED HEREWITH AND MARKED AS ANNEXURE-4	
6.	A COPY OF THE LETTER DATED 27.06.2026 IS ANNEXED HEREWITH AND MARKED AS ANNEXURE-5	

THROUGH COUNSEL

BHANWAR PAL SINGH JADON

STANDING COUNSEL FOR THE STATE OF U.P.

EMAIL-bhanwar09jadon@gmail.com

PHONE NO.-7838248353

Date: 01.07.2026

Place: NOIDA

NOTARY REGISTER SL. No. 04
01/07/2026

BEFORE THE NATIONAL GREEN TRIBUNAL
PRINCIPAL BENCH, NEW DELHI

ORIGINAL APPLICATION NO. 71/2026

IN THE MATTER OF:

GUNDUTT SHARMA …………APPLICANT

VERSUS

STATE OF UP & ORS. …………RESPONDENT(s)

REPLY BY RESPONDENT NUMBER 8- CEO ZILA PANCHAYAT, MEERUT IN COMPLIANCE WITH THE ORDER DATED 10.04.2026 PASSED BY THE HON'BLE NATIONAL GREEN TRIBUNAL

I, **V.S. KUSHWAHA**, aged about **52** years, S/o Shri **R.S. KUSHWAHA**, posted as CEO (Apar Mukhya Adhikari), Zila Panchayat, presently at Meerut, do hereby solemnly affirm and state as under:

1. That I, the Deponent in the above captioned matter, am fully conversant with the facts of the case and am competent and authorized to swear the present reply.
2. That, I state that the contents of this affidavit have been drafted by my counsel on my instructions, and the contents of the same are true to my knowledge and nothing material has been concealed therefrom.

NOTARY
UMESH KUMAR
Adv. Meerut
Notary Regn. No.
53583/2025
GOVT. OF INDIA

BACKGROUND OF THE MATTER

3. That, in the present matter, the Applicant has raised a grievance regarding discharge of untreated wastewater, including dairy waste, into agricultural fields due to an incomplete drain constructed in Village Rasulpur Dhaudi, Block Jani, District Meerut.

4. That, vide order dated 10.04.2026, the Hon'ble Tribunal was pleased to implead District Magistrate, Meerut, Chief Development Officer, Meerut and Chief Executive Officer, Zila Panchayat, Meerut as respondents and directed them to file their respective responses. The relevant part thereof is reproduced herein for perusal-

   "...4. In view of the averments made in the application and submissions made in the response filed by respondent no. 5-UPPCB, we consider presence of District Magistrate, Meerut, Chief Developmental Officer, Meerut and Zilla Panchayat, Meerut through its Chief Executive Officer to be essential for just and proper adjudication of the substantial environmental questions involved in the case. Accordingly, District Magistrate, Meerut, Chief Developmental Officer, Meerut and Zilla Panchayat, Meerut through its Chief Executive Officer are impleaded as respondents no. 6, 7 and 8.

NOTARY UMESH KUMAR Adv. Meerut Notary Regn. No. 53583/2025 GOVT. OF INDIA

7. Responses by respondents no. 1 to 4 and 6 to 8 may be filed at least one week before the next date of hearing fixed.

8. List on 08.07.2026 for further consideration..."

RESPONSE IS AS FOLLOWS

I. REGARDING THE CONSTRUCTION AND COMPLETION OF THE FIRST 600 METRE PUCCA STRETCH OF THE DRAIN

5. That, it is most humbly submitted that the drain in question was proposed for drainage of dirty water in Village Rasulpur Dhauldi, Development Block Jani, District Meerut. Accordingly, the District Panchayat, Meerut undertook construction of the first *pucca* stretch of the drain, measuring **600 metres in length and 0.90 metres in width**, from **Jahir Haider's Bagh to Mataur–Zakhera Marg** in the year 2021.
6. That, the construction of the aforesaid drain was approved in the meeting of the Zila Panchayat, Meerut held on **11.09.2020** to be carried out under the **15th Finance Commission Tied Grant** for the financial year **2020–21**. The said work was executed at a cost of **₹44,59,673/-**, and upon completion of the work, the **Completion Certificate** was issued by the **Zila Panchayat, Meerut on 23.12.2021**.

NOTARY UMESH KUMAR Adv. Meerut Notary Regn. No. 53583/2025 GOVT. OF INDIA

Copies of the MOM dated 11.09.2020 and Completion Certificate dated 23.12.2021 are annexed herewith and marked as ***Annexure-1*** and ***Annexure-2*** respectively.

II. REGARDING THE CONSTRUCTION OF THE REMAINING 1300 METRE STRETCH OF THE DRAIN

7. That, in compliance with the directions of the Hon'ble Tribunal, it is respectfully submitted that the work for construction of the remaining **1300 metre *pucca* stretch** of the drain, **extending from the end point of the existing 600 metre stretch up to the pre-existing drain at Mataur Link Road**, is proposed to be carried out under the **15th Finance Commission Tied Grant** at an estimated cost of **Rs. 99,72,000/-**. The proposal was approved by the **Zila Panchayat Board, Meerut** in its meeting held on **23.02.2026** and was thereafter approved by the **Chairman, Zila Panchayat, Meerut** on **28.03.2026**. Further, vide **Letter No. I/90326 dated 04.04.2026**, the proposal was forwarded to the Chief Engineer, District Panchayat Monitoring Cell, Panchayati Raj Department, Government of Uttar Pradesh, for grant of Technical Sanction.

   Copies of the approval dated 28.03.2026 and letter dated 04.04.2026 are annexed herewith and marked as ***Annexure-3*** and ***Annexure-4*** respectively.

NOTARY UMESH KUMAR Adv. Meerut Notary Regn. No. 53583/2025 GOVT. OF INDIA

8. That, pursuant thereto, vide Office Letter No. **1076/Zila Panchayat Meerut/2026–27** dated **27.06.2026**, an e-tender has been invited, which is scheduled to be opened on **09.07.2026**. Upon completion of the tender process, the construction work shall be completed within **three months**, thereby facilitating proper drainage of wastewater and ensuring full compliance with directions of the Hon'ble Tribunal.

   A copy of the letter dated 27.06.2026 is annexed herewith and marked as ***Annexure-5***.

9. Hence, this response is respectfully submitted for kind perusal of this Hon'ble Tribunal.

10. That everything stated above is true and correct to my knowledge, derived from official records, and nothing material has been concealed therefrom.

NOTARY UMESH KUMAR Adv. Meerut Notary Regn. No. 53583/2025 GOVT. OF INDIA

01/07/2026

DEPONENT

VERIFICATION

NOTARY

Verified at **Meerut** on this 01 day of July 2026, that the contents of the above affidavit from paragraphs 1 to 10 are true and correct to the best of my knowledge and belief. No part of it is false and nothing material has been concealed therefrom.

01/07/2026

DEPONENT

Certified that Mr. CEO Zila Panchayat Meerut
S/o Mr. R. S. Kushwaha Shri V. S. Kushwaha
R/o. CEO Zila Panchayat office
Identified by Mr. Self
Sworn the Contents of this affidavit
before me on 01/07/2026 Fee Rs.15/-
only per deponent

01/07/2026
UMESH KUMAR (Advocate)
NOTARY Meerut

NOTARY
UMESH KUMAR
Adv. Meerut
Notary Regn. No.
53583/2025
GOVT. OF INDIA

अभियन्ता / अपर मुख्य अधिकारी / मा0 अध्यक्ष महोदय,

15वे वित्त आयोग की टाईड योजना के अन्तर्गत शासन से प्राप्त धनराशि के सापेक्ष जिला पंचायत मेरठ की बैठक दिनांक 11.9.2020 के प्रस्ताव सं0 02 के अधीन कार्यो का चयन करते हुए वित्तीय वर्ष 2020—21 में कराये जाने वाले कार्यो के अन्तर्गत ग्राम धौलडी में जहीर हैदर के बाग से मतौर, जखैडा मार्ग तक नाला निर्माण कार्य का प्रॉक्कलन श्री अभय सिंह अवर अभियन्ता द्वारा स्थलीय निरीक्षण उपरान्त **रू0 45,01,505/**—का तैयार कर स्वीकृति हेतु प्रस्तुत किया गया है, जो पत्रावली के दाहिनी ओर रक्षित है।

अतः कृपया उपरोक्त प्राक्कलन का अवलोकन करते हुए कार्य पर वित्तीय, प्रशासनिक एवं तकनीकी स्वीकृति प्रदान करते हुए प्राक्कलन शासन को भेजे जाने की स्वीकृति प्रदान करने का कष्ट करें।

23-11-20 23-11-20 23/11/20 23/11/20 23/11/20

अध्यक्ष
जिला पंचायत मेरठ

कार्य पूर्ति का प्रमाण पत्र-नाम तथा पता सहित

ANNEXURE-2

1 नाम काम ग्राम रसूलपुर धौलड़ी मे जहीर हैदर के बाग से मतौर-जसेड़ा मार्ग तक नाला निर्माण कार्य।

2 स्वीकृति अनुमान की धनराशि— 4459673.00

3 स्वीकृति की तिथि — 15/06/2021

4 कार्य समाप्ति की तिथि — 23/12/2021

5 कार्य करने वाले व्यक्ति के हस्ताक्षर

प्रमाणित किया जाता है कि मैंने स्वयं इस कार्य की तिथि 23/12/2021 को निरीक्षण किया तथा इसे स्वीकृत अनुमान में अधिक विवरण के अनुसार ठीक प्रकार सम्पन्न हुआ पाया।

हस्ताक्षर ओवर सियर ....

इन्जीनियर जिला पंचायत ....

निरीक्षक अधिकारी शिक्षा विभाग ....

यदि स्वीकृत अनुमान में अंकित कार्य में न्यूनता अथवा अधिकता हुई है तो उसका विस्तृत कारण सहित अनिवार्यतः अंकित किया जाए।

ओवरसियर जिला पंचायत

निरीक्षक अधिकारी शिक्षा विभाग

नोट :- यदि कार्य अमानी द्वारा सम्पन्न हुआ है तो उस दशा में यह प्रमाण-पत्र अवश्य दिया जाए कि कार्य समाप्ति के पश्चात कोई वस्तु अथवा मसाला शेष रहा है कि नहीं। यदि शेष रहा है तो उसका रसीद के अनुसार अथवा बाजार भाव से क्या मूल्य है। इसके अतिरिक्त कार्य में संलग्न श्रमिकों का तिथिवार मस्टर रोल भी अवश्य रखना चाहिये।

48

अभियन्ता महोदय,

ग्राम रसूलपुर धौलड़ी में जहीर हैदर के बाग से मतौर-जरौदा मार्ग तक नाला निर्माण कार्य ठेकेदार श्री दिनेश कुमार जिन्दल

के नाम स्वीकृत है। मौके पर कार्य पूर्ण हो गया है। अतः उक्त कार्य का अन्तिम बिल में भुगतान हेतु प्रस्तुत किया जा रहा है

पुस्तक संख्या – 335

पृष्ठ संख्या – 39, 40

स्वीकृत धनराशि अंकन रू0– 4459673.00

प्रथम बिल में भुगतान हेतु धनराशि– 1599024.00

द्वितीय बिल में भुगतान हेतु धनराशि– 1895376.00

अन्तिम बिल में भुगतान हेतु धनराशि– 403058.00

कार्य की ल0– 600 मी0

कार्य की चौ0– 0.90 मी0

29.12.2021

अवर अभियन्ता

जिला पंचायत मेरठ।

जिला पंचायत, मेरठ।

ANNEXURE-3

पृष्ठ संख्या......1......

विभाग पत्रावली संख्या	टीपें एवं आज्ञाऐं (क्रमशः)

अभियन्ता/अपर मुख्य अधिकारी/मा0 अध्यक्ष महोदय,

कृपया पत्रावली में दांयी ओर रक्षित कार्यालय जिला मजिस्ट्रेट/जिलाधिकारी महोदय, मेरठ के पत्र संख्या 5523/एन0जी0टी0–पंचायत/2026 दिनांक 28.03.2026 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण नई दिल्ली में योजित ओ0ए0 संख्या–71/2026 गुणवत्त शर्मा बनाम उत्तर प्रदेश राज्य एवं अन्य में मा0 अधिकरण द्वारा पारित आदेश दिनांक 06.02.2026 के अनुपालन सुनिश्चित करते हुए मा0 न्यायालय में प्रभावी पैरवी करवाये जाने की अपेक्षा की गयी है। उक्त पत्र के साथ संलग्नक अभिलेखों के अनुसार विकास खण्ड जानी के रसूलपुर धौलडी में गन्दे पानी की निकासी के लिए मलौर मार्ग के बराबर में नाला बनवाते हुए पूर्व बने नाले में गन्दा पानी डाले जाने हेतु 1300मी0 का नाला बनवाये जाने की माँग की गयी है।

उक्त स्थित को देखते हुए विकास खण्ड जानी के रसूलपुर धौलडी में गन्दे पानी की निकासी हेतु 1300मी0 लम्बाई का नाला निर्माण जनहित में कराये जाने की आवश्यकता है, जिसे 15 वित्त आयोग (टाईड) योजना से कराये जाने में अंकन 99.72 लाख रू0 व्यय होने की सम्भावना है।

अतः सहमति की दशा में उपरोक्त कार्य को कराने हेतु वर्ष 2026–27 की कार्ययोजना में सम्मलित किये जाने की स्वीकृति प्रदान करने का कष्ट करें, जिससे मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण नई दिल्ली में योजित ओ0ए0 संख्या–71/2026 गुणवत्त शर्मा बनाम उत्तर प्रदेश राज्य एवं अन्य में मा0 अधिकरण द्वारा पारित आदेश दिनांक 06.02.2026 के अनुपालन सुनिश्चित किया जा सके।

28/03/26
(नवनीत कुमार)
आशुलिपिक
जिला पंचायत, मेरठ

28/03/2026

उपरोक्त कार्य बोर्ड की बैठक दिनांक 23/02/26 में अनुमोदित है।

28/03/2026
अपर मुख्य अधिकारी
जिला पंचायत मेरठ

(गौरव चौधरी)
अध्यक्ष
जिला पंचायत, मेरठ

प्रेषक,

अपर मुख्य अधिकारी,
जिला पंचायत, मेरठ।

सेवा में,

मुख्य अभियन्ता,
जिला पंचायत अनुश्रवण कोष्ठक
पंचायती राज विभाग उ0प्र0 शासन, लखनऊ।

पत्रांकः–I/903203/28 जि0पं0मेरठ / 2025–26 दिनांकः– 04/04/2026

विषयः– **रू0 40.00 लाख से अधिक लागत की परियोजनाओं की तकनीकी स्वीकृति प्रदान किये जाने के सम्बन्ध में।**

महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषयक के सम्बन्ध में निवेदन करना है कि 15वॉं वित्त आयोग (टाईड) योजना के अन्तर्गत प्राप्त होने वाली धनराशि के सापेक्ष मा0 अध्यक्ष महोदय, जिला पंचायत, मेरठ की स्वीकृति दिनांक 28 मार्च 2026 के क्रम में वित्तीय वर्ष 2026–27 की कार्ययोजना से निम्न विवरण के अनुसार कार्य का प्राक्कलन सम्बन्धित अवर अभियन्ता द्वारा स्वीकृति हेतु प्रस्तुत किया गया है।

प्रांक्कलन के अन्तिम पेज में परियोजना का साईट प्लान / परियोजना का फोटोग्राफ संलग्न है।

1. परियोजना न तो विवादित है और न किसी अन्य विभाग द्वारा स्वीकृत है।
2. परियोजना 15वॉं वित्त आयोग (टाईड) योजना के अन्तर्गत स्वीकृत है।
3. परियोजना शासन द्वारा जारी गाइड लाईन्स एवं शासनादेश के अनुसार है।
4. जी0एस0टी0 के सम्बन्ध में निर्गत शासनादेशों के क्रम में प्रांक्कलन तैयार किया गया है। उसी के अन्तर्गत वर्तमान में अथवा समय–समय पर जारी दिशा–निर्देशों के अनुसार ठेकेदार से कटौती की जायेगी।
5. परियोजना के प्रांक्कलन लोक निर्माण विभाग द्वारा जारी नवीनतम दर अनुसूची एवं निर्धारित मानकों एवं विशिष्टियों के अनुरूप बनाया गया हैं।

क्र0 सं0	योजना	परियोजना का नाम	विकास खण्ड	लम्बाई मी0 में	चौड़ाई मी0 में	अनुमानित लागत रू0 में
1	15वां वित्त आयोग (टाईड)	विकास खण्ड जानी के ग्राम रसूलपुर धौलडी में मतौर सम्पर्क मार्ग से पूर्व निर्मित नाले तक नाला निर्माण कार्य।	जानी	1300	1.0	99,72,000
					कुल योगः–	99,72,000

अतः उपरोक्त कार्य के प्रांक्कलन को संलग्न करते हुए अनुरोध है कि उ0प्र0 क्षेत्र पंचायत तथा जिला पंचायत निर्माण कार्य नियमावली 1984 के नियम 16(1) के यथासंशोधित (द्वितीय संशोधन) अधिसूचना संख्या 1548 / 33–2–2023–80जी–2000 लखनऊ, दिनांक 30 जून 2023 के अनुसार तकनीकी स्वीकृति प्रदान करने का कष्ट करें।

संलग्नकः–उपरोक्तानुसार।

भवदीय,

Digitally signed by
VINDHYACHAL SINGH KUSHWAHA
Date: 04-04-2026 (विन्ध्याचल सिंह कुशवाहा)
अपर मुख्य अधिकारी,
जिला पंचायत, मेरठ।

पत्रांक एवं दिनाकः–तद्।

प्रतिलिपिः–

- श्री आदेश कुमार अवर अभियन्ता जिला पंचायत, मेरठ को इस निर्देश के साथ कि उपरोक्तानुसार आगणन की प्रतियाँ जिला पंचायत अनुश्रवण कोष्ठक, लखनऊ में उपलब्ध कराते हुए तकनीकी परीक्षण कराकर अधोहस्ताक्षरी को अवगत करायें।

अपर मुख्य अधिकारी,
जिला पंचायत, मेरठ।

कार्यालय जिला पंचायत, मेरठ

पत्रांकः– 1076 /जि0पं0मेरठ/2026-27 दिनांकः– 27/06/2026

अल्पकालीन ई–निविदा सूचना

उत्तर प्रदेश क्षेत्र पंचायत तथा जिला परिषद निर्माण कार्य (प्रथम संशोधन) नियमावली 2020 में ठेकेदारों के रजिस्ट्रेशन के सम्बन्ध में किये गये संशोधन के अनुपालन में समस्त जिला पंचायतों में रजिस्टर्ड ठेकेदारों एवं राज्य सरकार के सिंचाई विभाग/लोक निर्माण विभाग में रजिस्टर्ड ठेकेदारों को सूचित किया जाता है कि जिला पंचायत मेरठ द्वारा 15वां वित्त आयोग (टाईड) योजनान्तर्गत स्वीकृत कार्य में से 01 कार्यों की ई–निविदा दिनांक 09.07.2026 को अपरान्ह 02:00 बजे तक (प्रतिशत आधार पर) आमन्त्रित की जाती हैं। ई–निविदा दिनांक 30.06.2026 को अपरान्ह 01.00 बजे से दिनांक 09.07.2026 को अपरान्ह 02:00 बजे तक सम्बन्धित ई–निविदा पोर्टल (www.etender.up.nic.in) पर उपलब्ध रहेंगी तथा इच्छुक ठेकेदारों द्वारा दिनांक 30.06.2026 को अपरान्ह 01.00 बजे से दिनांक 09.07.2026 को अपरान्ह 02:00 बजे तक ही निविदा अपलोड की जा सकती हैं। ई–निविदा की तकनीकि बिड दिनांक 09.07.2026 को जिला पंचायत कार्यालय में निविदा समिति द्वारा अपरान्हः 03:00 बजे से खोली जायेंगी एवं तकनीकि बिड में क्वालीफाईड ठेकेदार की वित्तीय बिड दिनांक 09.07.2026 को अपरान्ह 05:00 बजे से खोली जायेंगी। अन्य कोई भी जानकारी नियम/शर्ते जनपद मेरठ की वैबसाईट meerut.nic.in एवं कार्यालय जिला पंचायत मेरठ में देखी जा सकती हैं। निविदा को बिना कारण बताये स्वीकृत/अस्वीकृत करने का अधिकार मा0 अध्यक्ष, जिला पंचायत मेरठ में निहित है।

क्र0 सं0	योजना का नाम	विकास खण्ड	कार्य का नाम	कार्य की ल0 (मी0 में)/ सं0	लागत जी0एस0टी0 रहित (रू0)	धरोहर राशि 2 प्रतिशत (रू0)	निविदा मूल्य (रू0)	जी0 एस0 टी0 18 प्रतिशत (रू0)	निविदा मूल्य जी0 एस0 टी0 सहित (रू0)	कस्टमाईजेशन शुल्क	निविदा मूल्य जी0एस0 टी0 सहित + कस्टमाईजेशन शुल्क	कार्य पूर्ण करने की अवधि (दिनों में)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	15वां वित्त आयोग (टाईड)	जानी	ग्राम रसूलपुर धौलडी में मतौर सम्पर्क मार्ग से पूर्व निर्मित नाले तक नाला निर्माण कार्य ।	1,300	8,450,847	169,017	25,300	4,554	29,854	800	30,654	90

(सुरेन्द्र कुमार वर्मा)
अभियन्ता
जिला पंचायत,मेरठ।

(वी0एस0 कुशवाहा)
अपर मुख्य अधिकारी,
जिला पंचायत मेरठ।

(गौरव चौधरी)
अध्यक्ष,
जिला पंचायत मेरठ।

नियम व शर्तेः–

1 राज्यबार कौन्सिल में पंजीकृत व्यक्ति, जिला पंचायत अध्यक्ष/सदस्य/ अधिकारी/कर्मचारी के रिश्तेदार निविदा प्रक्रिया में भाग नहीं लेंगें।

2 2 प्रतिशत धरोहर धनराशि (ईएमडी0) इन्टरनैट बैंकिग के माध्यम से जिलानिधि के केनरा बैंक कचहरी शाखा मेरठ के खाता सं0 88372200058745 आई0एफ0सी0 कोड नं0 CNRB0018837 में पृथक–पृथक जमा कर सकते हैं। 2 प्रतिशत धरोहर धनराशि (ईएमडी0) जमा किये जाने से सम्बन्धित प्रपत्र जिला पंचायत प्रपत्र 5 अथवा जिलानिधि खाते में जमा की गयी धनराशि का चालान या एफ0डी0आर0 निविदा के साथ ई–निविदा तकनीकि बिड में पोर्टल पर अपलोड करना अनिवार्य होगा, शेष जमानत नियमानुसार अनुबन्ध के समय जमा करना अनिवार्य होगा। अन्य किसी माध्यम या नगद धनराशि मान्य नहीं होगी। उपरोक्त समस्त कार्यों की पृथक–पृथक धरोहर धनराशि (ई0एम0डी0) कार्य की निविदा के साथ अपलोड करनी होगी।

3 समस्त निविदादाताओं को पंजीयन प्रमाण पत्र/ अनुभव प्रमाण पत्र, चरित्र प्रमाण पत्र, हैसियत प्रमाण पत्र, पेन नम्बर एवं जी0एस0टी0 नम्बर अभिलेख निविदा के साथ अपलोड करना अनिवार्य होगा। हैसियत प्रमाण पत्र, चरित्र प्रमाण पत्र की वैधता समाप्त होने की दशा में निविदा अवैध मानी जायेगी।

4 अन्य जिला पंचायतों एवं सिंचाई विभाग/ लोक निर्माण विभाग के पंजीकृत ठेकेदारों को न्यूनतम दर की निविदा प्राप्त होने की दशा में जिला पंचायत मेरठ में पंजीकरण हेतु निर्धारित शुल्क /डिमान्ड ड्राफ्ट / ई–बैंकिंग के माध्यम से जमा कर एक सप्ताह के अन्दर पंजीकरण कराना अनिवार्य होगा तदोपरान्त ही निविदा की शर्तो के अनुसार जमानत जमा कराते हुए अनुबन्ध गठित किया जायेगा।

5 विभिन्न योजना अन्तर्गत शासन स्तर से समय –समय पर जारी मार्ग दर्शक सिद्वान्तों के विपरीत होने की दशा में तथा यदि कोई परियोजना किसी अन्य विभाग द्वारा पूर्व में स्वीकृत कर ली गई होगी को प्रकाश में आने पर तत्काल निरस्त कर दी जायेगी। स्वीकृत परियोजनाओं पर अनुबन्ध/भुगतान की कार्यवाही धन की उपलब्धता पर की जायेगी।

6 समस्त कार्यों को पूर्ण करने की अवधि अनुबन्ध के दिनांक से 3 माह होगी।

7 रूपये 25.00 लाख से अधिक लागत के कार्यो पर अनुबन्ध आदि की कार्यवाही शासन से तकनीकी स्वीकृति प्राप्त होने पर ही की जायेगी।

8 शासन स्तर से प्राप्त तकनीकि स्वीकृति में यदि किसी मद, दर अथवा लागत के किसी प्रकार का परिवर्तन होने पर ठेकेदार द्वारा डाली गई दर के अनुसार स्वीकृत धनराशि के अन्तर्गत कार्य करना होगा।

9 प्रतिशत बिलो टैन्डर पर अतिरिक्त सिक्योरिटी/ प्रर्फोमेन्स गारन्टी जमा करने के उपरान्त ही अनुबन्ध गठित किया जायेगा।

10 जी0एस0टी0 के अन्तर्गत वर्तमान में एवं समय–2 पर जारी दिशा निर्देशों के अनुसार ठेकेदार के बिलों से कटौति की जायेगी।

11 सम्पर्क मार्ग हेतु डिफेक्ट लायबिल्टी पीरियड 2 वर्ष होगी।

12 मेरे द्वारा प्रस्तुत समस्त प्रपत्र सत्य है इस आशय का फोटो नोटरी सहित शपथ पत्र ठेकेदारों को निविदा के साथ सम्बन्धित पोर्टल पर अपलोड करना अनिवार्य होगा।